<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर–08,आजमगढ़।</u>

विशेष वाद संख्या–06/2011

अपराध संख्या–562/2010

राज्य––– प्रति –––दंगली केवट।

अंतर्गत धारा–8/21 एन.डी.पी.एस ऐक्ट।

थाना–अहिरौला, जनपद आजमगढ़।

<u>आदेश</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त दंगली केवट न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। राज्य की ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) भी उपस्थित है।।

पत्रावली आरोप विरचन हेतु नियत है।

आरोप के बिन्दु पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व अभियुक्त उपरोक्त के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्यों को विस्तार से बताया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा–8/21 एन.डी.पी.एस ऐक्ट का आरोप प्रथम दृष्ट्या बनना प्रतीत होता है तथा अभियुक्त दंगली केवट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 8/21 एन.डी.पी.एस ऐक्ट के तहत आरोप बनाये जाने योग्य है।

अतः अभियुक्त दंगली केवट के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाये।

(अनिल कुमार वर्मा)

दिनांक–14.06.2022

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं० 08, आजमगढ़।

अभियुक्त दंगली केवट के विरूद्ध धारा– 8/21 एन.डी.पी.एस ऐक्ट का आरोप विरचित किया गया। उन्हें आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोप से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनाँक–20.06.2022 को पेश हो। साक्षीगण सम्मन से तलब हो।

(अनिल कुमार वर्मा)

दिनांक–14.06.2022

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं० 08, आजमगढ़।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर–08,आजमगढ़।

विशेष वाद संख्या–06/2011

अपराध संख्या–562/2010

राज्य––– प्रति –––दंगली केवट।

अंतर्गत धारा–8/21 एन.डी.पी.एस ऐक्ट।

थाना–अहिरौला, जनपद आजमगढ़।

आरोप

मैं, अनिल कुमार वर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–० 8, आजमगढ आप अभियुक्त **दंगली केवट** को एतद्द्वारा निम्न आरोप से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः– यह कि दिनांक 23.09.2010 समय करीब 19.45 बजे बहद स्थान माँ शारदा डिग्री कालेज के सामने नहर पर ग्राम गहजी व फासला 06 कि०मी० पूरब थाना अहिरौला, जनपद आजमगढ़ के पुलिस बल द्वारा आपके पहने हुए पैण्ट की दाहिनी जेब से एक पन्नी में डायजापाम की 5 एम.जी की 500 गोलियाँ बरामद किया गया, जिसका वजन 108 ग्राम पाया गया। जिसको रखने की कोई आज्ञाप्ति आपके पास नहीं थी। तद्द्वारा आपने एन.डी.पी.एस ऐक्ट की धारा 8/21 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको निर्देश देता हूँ कि आपका परीक्षण उपरोक्त धारा में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँकः–14.06.2022

(अनिल कुमार वर्मा)
J.O Code–U.P. 2683
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं०–08, आजमगढ़

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की माँग की।

दिनाँकः 14.06.2014

(अनिल कुमार वर्मा)
J.O Code–U.P. 2683
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं०–08, आजमगढ़।